



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 1986/वैशाख 4, 1908
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 1986/VAISAKHA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मन्त्रीमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1986

का.आ. 209(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ तिरासिवां) संशोधन नियम, 1986 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार(कार्य-घावटन)नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, —

(क) “रक्षा मन्त्रालय” शीर्षक के अतर्गत, “ख. रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग” उपशीर्षक के अतर्गत, प्रविष्टि 6क का लोप किया जाएगा।

(ख) “गृह मन्त्रालय” शीर्षक के अतर्गत, “क. आन्तरिक सुरक्षा विभाग” उपशीर्षक के अतर्गत, प्रविष्टि 41 का लोप किया जाएगा।

(ग) “उद्योग मन्त्रालय” शीर्षक के अतर्गत, “ग. सरकारी उद्यम विभाग” उपशीर्षक के अतर्गत, प्रविष्टि 55 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“56. प्रागा टूल्स लिमिटेड।

57. रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन।”

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[स. 74/2/1/86-मत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, सयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 1986

S.O. 209(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (one hundred and eighty third) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)” under the sub heading “B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND

SUPPLIES ((RAKSHA UTPADAN AUR POORTI VIBHAG)", entry 6A shall be omitted ;

- (b) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under the sub heading "A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURKSHA VIBHAG)", entry 41 shall be omitted ;
- (c) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", under the sub heading "D. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (SARKARI UDYAM VIBHAG)", after entry 55, the following shall be inserted, namely :—

"56. Praga Tools Limited.

57. Rehabilitation Industries Corporation."

ZAIL SINGH,
President

[No. 74|2|1|86-Cab.]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

